अधिनियम की धारा 81, मेरी राय है कि केवल वह राशि, जो अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के तहत समिति द्वारा दावा योग्य है, मजिस्ट्रेट के माध्यम से वसूल की जा सकती है, न कि कोई राशि जो समिति को देय हो सकती है।

(13) प्रतिवादी-अपीलकर्ता नगर समिति के विद्वान वकील अधिनियम में किसी भी प्रावधान को इंगित करने में असमर्थ थे जिसके तहत विवाद में परिसर, वादी-प्रतिवादियों को समिति द्वारा पट्टे पर दिया गया था। इसलिए, प्रथम दृष्टया, विवादग्रस्त राशि, अधिनियम के तहत दावा करने योग्य प्रतीत नहीं होगी।

(14) उपर्युक्त चर्चा के आधार पर, इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं है और इन्हें जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।

एससीके

पहले: एसएस सोढ़ी और आरएस मोंगिया, जे.जे.

मैसर्स मित्तल पाइप निर्माण कंपनी, हिसार,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य,-प्रतिवादी।

*सिविल पुनरीक्षण संख्या*1989 का 1756.

2 अप्रैल 1992.

*भारत का संविधान,*1950—कला. 299—कला के प्रावधान. 299—ऐसे प्रावधान अनिवार्य—सरकार के साथ अनुबंध—क्या निविदा की स्वीकृति एक बाध्यकारी अनुबंध है।

*आयोजित,*सरकार के साथ अनुबंध को कला के प्रावधानों के अनुरूप होना

चाहिए। भारत के संविधान के 299, जो अनिवार्य हैं और यदि कोई निविदा या प्रस्ताव पत्र है जिसमें प्रस्ताव के कुछ नियम और शर्तें शामिल हैं, तो एक स्वीकृति पत्र एक बाध्यकारी समझौते या अनुबंध को अस्तित्व में लाने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि पार्टियों को बाध्य करने के लिए पार्टियों के बीच किसी विशेष रूप में कोई औपचारिक अनुबंध किया जाए। राज्य मौखिक समझौता नहीं कर सकता है लेकिन अनुबंध की शर्तों पर पत्राचार द्वारा बातचीत की जा सकती है और यहां तक कि पत्राचार द्वारा स्वीकार भी किया जा सकता है। कार्यकारी अभियंता या राज्यपाल द्वारा किसी विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए गए मध्यस्थता खंड के साथ निविदा के नियम और शर्तों वाली एक निविदा एक वैध मध्यस्थता समझौते का गठन करेगी।

(पैरा 10)

*(यह मामला 9 नवंबर को माननीय श्री न्यायमूर्ति एमएस लिब्रहान द्वारा बड़ी बेंच को भेजा गया था,*1990 निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ: -

क्या अनुबंध के सभी आवश्यक नियमों और शर्तों पर सहमति होनी चाहिए या केवल स्वीकृति पत्र के परिणामस्वरूप बाध्यकारी समझौता या अनुबंध हो जाएगा; क्या पार्टियों को बाध्य करने के लिए पार्टियों के बीच एक औपचारिक अनुबंध किया जाना चाहिए; क्या राज्य मौखिक समझौता या अनुबंध कर सकता है या पत्राचार द्वारा ऐसा कर सकता है; क्या विधिवत अधिकृत कार्यकारी अभियंता के साथ निविदा की शर्तों वाली निविदा वैध मध्यस्थता समझौते का गठन करती है? चूंकि ये प्रश्न बड़ी संख्या में मामलों में उठने की संभावना है और उठाए गए मुद्दों के महत्व को देखते हुए, प्रश्नों का निर्धारण एक बड़ी पीठ द्वारा किए जाने की आवश्यकता है।"

माननीय श्री न्यायमूर्ति एसएस सोढ़ी और माननीय श्री न्यायमूर्ति आरएस मोंगिया की खंडपीठ ने अंततः 2 अप्रैल को मामले का फैसला किया/1992).

*याचिका यू/ एस*श्री हरि राम, जिला न्यायाधीश, जींद की अदालत के आदेश दिनांक 15 के पुनरीक्षण हेतु 115 सी.पी.सी. मार्च, 1989 ने श्री जीएल गोयल, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, जींद के 5 मई, 1988 के आदेश को उलट दिया कि पार्टियों के बीच समझौते को एक वैध समझौता माना जाएगा जिसमें मध्यस्थता खंड 13-ए शामिल है और मध्यस्थ को विवाद का फैसला करने के लिए सक्षम किया गया है। पार्टियों के बीच और पार्टियों को 1 अप्रैल, 1989 को उपस्थित होने का निर्देश देना।

दावा करना:—कॉन्स्टन. जींद में मौजूदा ऊंचे प्लेटफार्म पर 2000 मीट्रिक टन क्षमता का सड़क भंडारण गोदाम।

*पुनरीक्षण में दावा:-निचले अपीलीय न्यायालय के आदेश को उलटने के लिए/*याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और वकील अनिल खेत्रपाल उपस्थित थे।

आरसी सेतिया, अतिरिक्त. प्रतिवादी की ओर से एजी हरियाणा।

निर्णय

आरएस मोंगिया, जे.

यह पुनरीक्षण याचिका एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए संदर्भ पर हमारे सामने रखी गई है। संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि पार्टियों यानी मैसर्स मित्तल पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (याचिकाकर्ता) और हरियाणा राज्य (प्रतिवादी) के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसे मध्यस्थता के लिए श्री आरके गर्ग, अधीक्षण अभियंता नामक मध्यस्थ के पास भेजा गया था। , हरियाणा PWD (B&R)। उक्त मध्यस्थ ने विद्वान उप-न्यायालय का संदर्भ दिया।

मैसर्स मित्तल पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हिसार बनाम हरियाणा राज्य
(आरएस मोंगिया, जे.)

न्यायाधीश, जींद ने 6 मई, 1987 को अपना पत्र लिखा और निम्नलिखित प्रश्नों पर राय मांगी: -

(1) क्या पार्टियों के बीच कोई वैध समझौता मौजूद है; विवाद के लिए, विशेष रूप से जब ठेकेदार ने अपना टेंडर फॉर्म नंबर स्टीरियो बी एंड आर-30 पर जमा किया है और मध्यस्थता खंड 13-ए उस टेंडर फॉर्म पर दिखाई देता है जहां ठेकेदार ने अपना प्रस्ताव दिया है?

(2) क्या मध्यस्थ को विवाद का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?

(2) विद्वान वरिष्ठ उप न्यायाधीश ने पाया कि पार्टियों के बीच कोई वैध समझौता नहीं था, अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर कि राज्यपाल की ओर से कार्यकारी अभियंता द्वारा निविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और इसके अलावा मध्यस्थता का कोई अलग समझौता नहीं था और आगे क्रम में पार्टियों के बीच वैध मध्यस्थता समझौता बाध्यकारी होने के लिए, दोनों पक्षों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ट्रायल कोर्ट के अनुसार, मध्यस्थ के पास पार्टियों के बीच विवाद का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(3) हालाँकि, अपीलीय न्यायालय ने निष्कर्षों को उलट दिया। इसमें पाया गया कि ठेकेदार (याचिकाकर्ता) द्वारा मध्यस्थ को विवाद के संदर्भ के लिए मध्यस्थता खंड 13-ए के साथ फॉर्म नंबर स्टीरियो बी एंड आर 30 में एक विधिवत हस्ताक्षरित निविदा प्रस्तुत की गई थी। इसे राज्य के राज्यपाल की ओर से निविदा प्रपत्र की शर्तों के अधीन स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय के अनुसार, हालांकि कोई अलग समझौता नहीं था, लेकिन एक बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में आया था, जब हरियाणा राज्य के राज्यपाल की ओर से निविदा स्वीकार की गई थी। मध्यस्थता के संदर्भ में पार्टियों के बीच एक वैध और बाध्यकारी समझौता था। यह भी देखा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी कि निविदा किसी

अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी। अपीलीय न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की।

(4) विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, जिन्होंने पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपीलीय न्यायालय के आदेश पर केवल इस आधार पर आपत्ति जताई कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के प्रावधानों का अनुपालन करने वाले पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं था। तथ्य की खोज, इस आशय की कि मध्यस्थता खंड और अन्य नियमों और शर्तों के साथ एक विधिवत हस्ताक्षरित निविदा, ठेकेदार (याचिकाकर्ता) द्वारा प्रस्तुत की गई थी और थी

राज्यपाल की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए गए फैसले को चुनौती नहीं दी गई। प्राथमिक निर्भरता हरियाणा राज्य में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और एक अन्य बनाम मैसर्स जीपी सिनीहुल एंड कंपनी (1) के फैसले पर रखी गई थी, जिसमें यह माना गया था कि केवल निविदा प्रस्तुत करने से और उसकी स्वीकृति के बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 द्वारा परिकल्पित कोई भी बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में नहीं आ सकता है। संदर्भ क्रम में, एल.डी. एकल न्यायाधीश ने भारत संघ और अन्य बनाम एनएक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2) मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर गौर किया है, जिसमें यह माना गया था कि निविदा और स्वीकृति द्वारा एक बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में आ सकता है यदि स्वीकृति किसी द्वारा की जाती है। जैसा भी मामला हो, राज्य के राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत व्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले को मेसर्स ओपी सिंघल के मामले में विद्वान न्यायाधीश के ध्यान में नहीं लाया गया था। कुछ अन्य प्राधिकारियों पर ध्यान देने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि इस मामले में विभिन्न प्रश्न शामिल हैं जिनके लिए एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय की आवश्यकता है और इस तरह से मामला हमारे सामने रखा गया है।

(5) इस संदर्भ आदेश में, एकल न्यायाधीश ने प्रश्न को इस प्रकार तैयार किया है: -

> "इस मामले में शामिल विभिन्न प्रश्न हैं कि क्या अनुबंध के सभी आवश्यक नियमों और शर्तों पर सहमति होनी चाहिए या केवल स्वीकृति पत्र के परिणामस्वरूप एक बाध्यकारी समझौता या अनुबंध हो जाएगा; क्या पार्टियों को बाध्य करने के लिए पार्टियों के बीच एक औपचारिक अनुबंध किया जाना चाहिए; क्या राज्य मौखिक समझौता या अनुबंध कर सकता है या पत्राचार द्वारा ऐसा कर सकता है; क्या मध्यस्थता खंड के साथ निविदा की शर्तों वाली निविदा, विधिवत अधिकृत एक कार्यकारी अभियंता द्वारा स्वीकार की जाती है, एक वैध मध्यस्थता समझौते का गठन करती है?

(8) जहां तक आसफ़र के राज्य ईगवर्न या केंद्र सरकार द्वारा किए गए अनुबंधों का सवाल है, तो भारत के संविधान में एक विशेष प्रावधान किया गया है कि इन अनुबंधों को कैसे दर्ज किया जाना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 299 (जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 175(3) के बराबर है) यहां देखा जा सकता है: -

> (299) (1)कार्यकारी पी के अभ्यास में किए गए सभी अनुबंध। संघ या राज्य का बकाया होना व्यक्त किया जाएगा

सैनिकटीए.आईआर. 1984 (पी एंड एच) 358.

(3) एआईआर 1972 एससी 915।

जैसा भी मामला हो, राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और उस शक्ति के प्रयोग में किए गए ऐसे सभी अनुबंध और संपत्ति के सभी आश्वासन ऐसे व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से निष्पादित किए जाएंगे और ऐसे तरीके से जैसा वह निर्देशित या अधिकृत कर सकता है।

(2) इस संविधान के प्रयोजनों के लिए या पहले से लागू भारत सरकार से संबंधित किसी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए या निष्पादित किए गए किसी अनुबंध या आश्वासन के संबंध में न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, न ही कोई व्यक्ति ऐसा करेगा। उनमें से किसी की ओर से ऐसे किसी अनुबंध या आश्वासन को निष्पादित करना उसके संबंध में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(7) द बिहार ईस्टर्न गैंगेटिक फिशरमेन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम सिपाही सिंह और अन्य (3) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के प्रावधान चरित्र में अनिवार्य हैं और इसके लिए आवश्यक है कि एक अनुबंध किया जाए। संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग को तीन शर्तों को पूरा करना होगा:

(i) इसे राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा, जैसा भी मामला हो, व्यक्त किया जाना चाहिए; (ii) इसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से निष्पादित किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो; और (iii) इसका निष्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए जैसा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्देशित या अधिकृत कर सकते हैं। इन शर्तों को पूरा करने में विफलता अनुबंध को रद्द कर देती है और उसे समाप्त कर देती है। शून्य और अप्रवर्तनीय.

भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 2(ए) 'मध्यस्थता

समझौते' को इस प्रकार परिभाषित करती है: -

> "**एक**'मध्यस्थता समझौता' का अर्थ वर्तमान या भविष्य के मतभेदों को मध्यस्थता में प्रस्तुत करने के लिए एक लिखित समझौता है, चाहे उसमें मध्यस्थ का नाम हो या नहीं।"

मध्यस्थता समझौते का कोई विशिष्ट रूप नहीं है। एकमात्र आवश्यकता यह है कि लिखित रूप में एक समझौता होना चाहिए जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल हो। हालाँकि, जब एक मध्यस्थता समझौता या (TAJI 1977 SC 2149.

कोई अनुबंध, राज्य सरकार के साथ है या केंद्र सरकार के साथ है तो ऐसा समझौता भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। राज्य सरकार के साथ मध्यस्थता समझौते के संबंध में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (ए) से निपटते समय, सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम एएल आरमिया राम (4) में कहा कि इस तरह के समझौते को एक बाध्यकारी समझौता बनाने के लिए इसे आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 175(3) (जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के बराबर है)। उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

> “धारा 2 (ए) मध्यस्थता अधिनियम के अर्थ के भीतर एक मध्यस्थता समझौते का गठन करने के लिए, मध्यस्थता के लिए वर्तमान या भविष्य के मतभेदों को प्रस्तुत करने के लिए एक वैध समझौता होना चाहिए और समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और पार्टियों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। हालाँकि यह एक प्रभावी मध्यस्थता समझौते की शर्त नहीं है कि इसे दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित औपचारिक समझौते में शामिल किया जाना चाहिए, न ही इसे पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता है। लेकिन जहां भारत का डोमिनियन मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष था, जो कि भारत सरकार, अधिनियम, 1935 की धारा

> 175(3) के अर्थ के तहत एक अनुबंध है, वहां भारत के डोमिनियन को बाध्य करने के लिए इसे बनाया जाना चाहिए अनुभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में.

रलिया राम के मामले (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार के साथ अनुबंध करते समय, औपचारिक दस्तावेज़ का निष्पादन बिल्कुल आवश्यक नहीं है। पत्राचार से एक वैध अनुबंध उत्पन्न हो सकता है। इसे निम्नानुसार देखा गया: -

> "धारा 175(3) के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि भारत के डोमिनियन और अन्य अनुबंध करने वाले पक्ष की ओर से निष्पादित औपचारिक दस्तावेज़ ही प्रभावी हो। भारत सरकार अधिनियम की धारा 175(3) के तहत गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित तरीके से किसी निर्देश के अभाव में, यदि आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं तो एक वैध अनुबंध पत्राचार से उत्पन्न हो सकता है। यह सच है कि एस. 175(3) "निष्पादित" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, लेकिन यह अनुबंध पक्षों द्वारा औपचारिक अनुबंध के निष्पादन पर विचार नहीं करता है। गवर्नर-जनरल द्वारा या उसकी ओर से जारी निमंत्रण के अनुसरण में माल की खरीद के लिए एक निविदा।

(4)एआईआर 1963 एससी 1685।

> भारत की और लिखित स्वीकृति जो व्यक्त की गई है • गवर्नर-जनरल के नाम पर की जाएगी और उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित की जाएगी, धारा 175(3) की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी।

इस सवाल का कि क्या राज्य सरकार के साथ कोई बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में आने से पहले, एक विलेख या एक औपचारिक लिखित अनुबंध होना चाहिए या केवल निविदा की स्वीकृति एक वैध अनुबंध का गठन करती है, इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और अन्य बनाम एन में दिया था। आरके. प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (5), निम्नलिखित शर्तों में: -

> "निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई अनुबंध संपन्न हुआ था, और यदि कोई था, तो क्या एक वैध और बाध्यकारी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 299 की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी की गई हैं? इस न्यायालय द्वारा अब यह तय कर दिया गया है कि यद्यपि अनुच्छेद 299(1) में 'व्यक्त' और 'निष्पादित' शब्द यह सुझाव दे सकते हैं कि यह एक विलेख या औपचारिक लिखित अनुबंध द्वारा होना चाहिए, निविदा और स्वीकृति द्वारा एक बाध्यकारी अनुबंध हो सकता है यह तब भी अस्तित्व में आता है जब स्वीकृति भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाती है। कोई अनुबंध चाहे औपचारिक विलेख द्वारा या अन्यथा राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत नहीं किए गए व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, बाध्यकारी नहीं हो सकता और बिल्कुल शून्य है।

(8) ऊपर देखे गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुपात से, यह स्पष्ट है कि सामान्य परिस्थितियों में यह एक प्रभावी मध्यस्थता खंड की शर्त नहीं है कि इसे दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित औपचारिक समझौते में शामिल किया जाना चाहिए और न ही इसकी आवश्यकता है। ? पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। हालाँकि, यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के साथ ऐसा कोई समझौता है, तो उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिन्हें सिपाही सिंह के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही हटा दिया गया है। एनके प्राइवेट लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, निविदा और स्वीकृति द्वारा एक बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में आ सकता है यदि ऐसी निविदा भारत के राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में विधिवत

(5) एआईआर 1972 एससी 915।

अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वीकार की जाती है और इसे भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के नाम पर व्यक्त किया जाना चाहिए। ऐसा अनुबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। हमारा मानना है कि

(5) एआईआर 1972 एससी 915।

ओपी सिंघल के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियाँ इस आशय की हैं कि केवल एक निविदा प्रस्तुत करने और उसकी स्वीकृति के कारण संविधान के अनुच्छेद 299 द्वारा परिकल्पित कोई भी बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में नहीं आ सकता है। एनके प्राइवेट लिमिटेड मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून। जैसा कि पहले देखा गया था, एनके प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओपी सिंघल के मामले (सुप्रा) में विद्वान एकल न्यायाधीश के ध्यान में नहीं लाया गया था। तदनुसार, हम मानते हैं कि ओपी सिंघल के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिपादित प्रस्ताव सही कानून नहीं बनाता है और इसके द्वारा उसे खारिज कर दिया जाता है।

(9) उपरोक्त प्राधिकारों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, विभिन्न उच्च न्यायालयों के किसी अन्य प्राधिकारियों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है।

(10) नतीजतन, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उठाए गए सवालों पर हमारा जवाब, जो फैसले के पहले भाग में देखा गया है, "कि सरकार के साथ अनुबंध को भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, जो हैं अनिवार्य है और यदि कोई निविदा या प्रस्ताव पत्र है जिसमें प्रस्ताव के कुछ नियम और शर्तें शामिल हैं, तो एक स्वीकृति पत्र एक बाध्यकारी समझौते या अनुबंध को अस्तित्व में लाने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि पार्टियों को बाध्य करने के लिए पार्टियों के बीच किसी विशेष रूप में कोई औपचारिक अनुबंध किया जाए। राज्य मौखिक समझौता नहीं कर सकता है लेकिन अनुबंध की शर्तों पर पत्राचार द्वारा बातचीत की जा सकती है और यहां तक कि संवाददाता द्वारा स्वीकार भी किया जा सकता है। कार्यकारी अभियंता या राज्यपाल द्वारा किसी विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए गए मध्यस्थता खंड के साथ निविदा के नियम और शर्तों वाली एक निविदा एक वैध मध्यस्थता समझौते का गठन

करेगी।

(11) ऊपर उल्लिखित प्रश्नों के उत्तर को ध्यान में रखते हुए इस पुनरीक्षण याचिका में और कुछ भी नहीं बचता है, जिसे लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है। पक्षकार मध्यस्थ के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करेंगे, जो कानून के अनुसार अपना निर्णय देने के लिए आगे बढ़ेगा।

एससीके

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा